



क०आ० संख्या: प्रशासन/लेखापरीक्षा/ए/2026/67

दिनांक: 09.04.2026

**कार्यालय आदेश/Office Order**

मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 03/स्टाफ (नियुक्ति-V)/व०ले०अ०/प्रोन्नति/78-2026 दिनांक 02.04.2026 के संदर्भ में, तथा **भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के फलस्वरूप** (जैसा कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या A-32013/07/2026-EG दिनांक 30.03.2026 द्वारा अवगत कराया गया है), सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (₹56,100-₹1,77,500) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ग्रुप 'ए' के पद पर पैनल वर्ष 2023 से 2025 के लिए **तत्काल प्रभाव** से पदोन्नत किया जाता है।

In terms of Hqrs. office letter No. 03/स्टाफ (नियुक्ति - V)/व०ले०अ०/प्रोन्नति/78-2026 dated 02.04.2026, and consequent upon **approval of the President of India**, as conveyed vide Department of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India letter No. A-32013/07/2026-EG dated 30.03.2026, the Competent Authority is pleased to order the promotion of following Assistant Audit Officers (Civil) as Senior Audit Officer (Group-A) in Level -10 in the Pay matrix (Rs. 56,100-Rs. 1,77,500) under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules 2016, for the Panel years 2023 to 2025 **with immediate effect**.

Sr. No.	Empid	Name of Officer	Remarks
<b>Panel year 2023</b>			
1.	3060402	SHRI VIVEK SAXENA	---
2.	3060461	SHRI RAMESH SHARMA	---
3.	2060977	SHRI PREM LAL	---
<b>Panel year 2024</b>			
1.	3060389	SHRI RAJESH KUMAR	
2.	3060405	MS. SURAJ NEGI (ST)	Against UR Vacancy
3.	3060563	SHRI PANKAJ KUMAR (SC)	Against UR Vacancy
4.	3060621	SHRI KULDEEP SINGH (SC)	Against UR Vacancy
5.	3060339	SHRI PARTAP SINGH KHIMTA (SC)	Against UR Vacancy
<b>Panel Year 2025</b>			
1.	3060619	SHRI MUNESH KUMAR (UR/PwBD)	Against UR Vacancy
2.	3060690	SHRI ASHISH KUMAR (SC)	Against UR Vacancy
3.	3060680	SHRI NARESH THAKUR	---
4.	2160160	SHRI SINGA TIU (ST)	Against UR Vacancy
5.	3060706	MS. BHAVANA SHARMA	Against the centralized CRA cadre in terms of para 11(A)(a)(v) of Hqrs. Circular No. 43 dated 21.11.2025
6.	3060702	SHRI JAI PRAKASH NEGI (ST)	Against UR Vacancy
7.	3060763	MS. BHARTI KASHYAP (SC) (On Deputation)	Against reserved Vacancy

(FIFTEEN NAMES ONLY)

अधिकारियों को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ग्रुप 'ए' के पद के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार, जो भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जी०एस०आर संख्या 860 (ई) दिनांक 18.11.2019 के माध्यम से अधिसूचित तथा 20.11.2019 को प्रकाशित किए गए हैं, वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (₹56,100-₹1,77,500) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ग्रुप 'ए' के संवर्ग में दिनांक 09.04.2026 से या पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है।

The officers are hereby promoted to the cadre of Senior Audit Officer (Group 'A') in Level 10 of the Pay Matrix (Rs. 56,100-Rs. 1,77,500), **with effect from 09.04.2026** or from the date of assumption of charge of the post, whichever is later, in accordance with the Recruitment Rules for the post of Senior Audit Officer in the Indian Audit and Accounts Department, as notified in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No. 860(E) dated 18.11.2019 and published on 20.11.2019.

यह पदोन्नति Jarnail Singh & Ors मामले में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28.01.2022 के निर्णय ( सिविल अपील संख्या 629/2022, जो एस०एल०पी० संख्या (सिविल)30621/2011 से उत्पन्न हुई ) के अधीन होगी, तथा जर्नेल सिंह मामलों के समूह में, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के भी अधीन होगी, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-Estt. (Res) दिनांक 12.04.2022 में उल्लेखित है।

The promotion is subject to the judgment dated 28.01.2022 of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Jarnail Singh & Ors in Civil Appeal No. 629/2022 arising out of SLP (C) No. 30621/2011 and subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases, pending in the Supreme Court of India, as mentioned in DoPT's O.M. No. 36012/16/2019- Estt. (Res) dated 12.04.2022.


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम 9 के अनुसार, जो भारत का राजपत्र के भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में जी०एस०आर संख्या 860 (ई) दिनांक 18.11.2019 के अंतर्गत अधिसूचित तथा 20.11.2019 को प्रकाशित किए गए हैं, अधिकारियों की वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।

There shall be a probation period of two years on their promotion to the Senior Audit Officer cadre, as per Column 9 of the schedule of the Recruitment Rule for the post of Senior Audit Officer, notified in Part II Section-3 Sub-section (i) of Gazette of India GSR No.860 (E) dated 18.11.2019 published in Gazette of India on 20.11.2019.

पदोन्नत अधिकारी, एफ .आर. 22(I)(a)(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, पदोन्नति / इस कार्यालय आदेश के निर्गमन की तिथि से एक माह के भीतर पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रयोग कर सकते हैं।

The promoted officers may exercise the option for fixation of pay on promotion within one month from the date of promotion/issue of this office order, in terms of the provisions contained in FR 22(I)(a)(1).

प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय आदेश दिनांक 09.04.2026.

  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या: प्रशासन/ले०प०/पदोन्नति -व०ले०प०अ० (सिविल)/2021-26/43

दिनांक: 09.04.2026

**प्रतिलिपि:** वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्टाफ (नियुक्ति-V), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय पत्र संख्या 03/स्टाफ (नियुक्ति-V)/ व०ले०अ०/ प्रोन्नति/ 78-2026 दिनांक 02.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ता/-

**वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)**

पृष्ठांकन संख्या: प्रशासन/ले०प०/पदोन्नति -व०ले०प०अ० (सिविल)/2021-26/44

दिनांक: 09.04.2026

**प्रतिलिपि:** वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्टाफ (नियुक्ति-III), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय परिपत्र संख्या 43-स्टाफ विंग /2025 द्वारा संख्या 1104-स्टाफ (नियुक्ति-III)/167-2025 दिनांक 21.11.2025 के अंतर्गत **सुश्री भावना शर्मा, (CRA क्रम संख्या 159 )** के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ता/-

**वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)**

पृष्ठांकन संख्या: प्रशासन/ले०प०/पदोन्नति -व०ले०प०अ० (सिविल)/2021-26/45-71

दिनांक: 09.04.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1. सचिव प्रधान महालेखाकार
2. निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन व राज्य वित्त)
3. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-I)
4. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II)
5. निजी सहायक, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-III)
6. निदेशक (प्रशासन), कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़ को **सुश्री भावना शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)** के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
7. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को **सुश्री भारती कश्यप, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)** के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
8. कल्याण अधिकारी
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हकदारी अनुभाग)
10. सम्बंधित अधिकारी
11. प्रशासन अनुभाग (सम्बंधित सहायक)
12. वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हि० प्र०, शिमला
13. 'ए' क्रम फाइल

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

09/04